

भाग-II

(संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या . . FP/MP/ROAD/19782/2016

- 7 परियोजना/स्कीम का स्थान
(I) राज्य / संघ शासित प्रदेश
(ii) जिला
(iii) वन प्रभाग

- (i) मध्यप्रदेश
(ii) जिला- अनूपपुर
(iii) जिला-अनूपपुर, परिक्षेत्र-बिजुरी के वन मण्डल अनूपपुर के अंतर्गत वन क्षेत्र में पूर्व से निर्मित मिट्टीकृत मार्ग पिपरिया से सारिसताल मार्ग का उन्नयन/ निर्माण कार्य करने हेतु अनुमति।

(अ) वन विभाग के अधीन वनभूमि -

अ० क्र०	जिले का नाम	वन मण्डल का नाम	परिक्षेत्र	आरक्षित/संरक्षित वन खण्ड का नाम	कक्ष क्र०	लम्बाई (कि.मी. में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्र (हे. में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	अनूपपुर	अनूपपुर	बिजुरी	आरक्षित वन खण्ड नंदलाल पतेरा	RF-537	1.550	7.50	
				आरक्षित वनखण्ड नंदलाल पतेरा	RF-538	1.100	7.50	
				संरक्षित वनखण्ड नंदलाल पतेरा	PF-539	0.150	7.50	
				योग -		2.80	7.50	2.100

(ब) राजस्व विभाग के अधीन वनभूमि

क्र०	जिले का नाम	वन मंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्र०	आवेदित क्षेत्रफल (हे० में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
निरंक						

- (iv) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (iv) 2.10 हे०
- (v) वन की कानूनी स्थिति (v) संरक्षित/ आरक्षित वन।
- (vi) हरियाली का घनत्व (vi)
- (vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जा। सिचाई/ जलीय परियोजना के संबंध में एफ०आर०एल० एफ०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किया जाए। (vii) वर्तमान आवश्यकत नहीं।
- (viii) भू-क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी (viii) प्रस्तावित क्षेत्र भू-क्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
- (ix) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी- (ix) वर्तमान में कोई वनेत्तर क्षेत्र अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

- (x) क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है? (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाये।
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ/ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा
- (xii) क्या कोई पुरातत्वीय/ पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें
- (x) आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन अभ्यारण्य जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग नहीं है।
- (xi) निरंक।
- (xii) निरंक।

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है?

8. प्रमाण पत्र संलग्न है।

महाप्रबंधक म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई अनूपपुर द्वारा प्रस्तावित मार्ग पूर्व से निर्मित मिट्टीकृत मार्ग है, वर्तमान में मार्ग का डामरीकरण हेतु वन क्षेत्र के लिये सभी विकल्पों का पता लगा लिया गया है। प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य है।

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

9- कोई उल्लंघन कार्य नहीं किया गया है।

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्थलीय का ब्यौरा

10.

- | | |
|---|---|
| <p>(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार</p> <p>(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वनसीमाओं को दर्शाता मैप।</p> <p>(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूचित लागत, ढांचा आदि.</p> | <p>(i) वर्तमान में लागू नहीं है।
वर्तमान में उक्त मिट्टीकृत मार्ग डामरीकृत किये जाने हेतु प्रस्तावित है।</p> <p>(ii) वर्तमान में प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है।</p> <p>(iii) वर्तमान में प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है।</p> |
|---|---|

- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिच्यय (iv) वर्तमान में प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है।
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रशासकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र. (संबंधित उपवनसंरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) (v) वर्तमान में आवश्यक नहीं है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8, 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)। 11. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
12. विभाग/ जिला प्रोफाइल—
- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र (i) जिले का कुल 3746.720 वर्ग कि०मी० भौगोलिक क्षेत्र है।
- (ii) जिले का वन क्षेत्र (ii) जिले का कुल 890.280 वर्ग कि०मी० वन क्षेत्र है, जो वन विभाग के अधीन है।

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र (iii) अभी तक कुल 28 प्रकरणों में 1400.861 हेक्टेयर वन क्षेत्र गैर वानिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है।

(iv) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(iv) 24-10-80 से भारत सरकार / राज्य सरकार/ नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वे) से प्राप्त स्वीकृत अनुसार अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाना था -

(क) दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि पर
(ख) वनेत्तर भूमि पर

जिला/ वन मंडल	दुग्ने बिगड़े वन क्षेत्र में (हे०में)	दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (हे०में)	स्वीकृत अनुसार गैर वनभूमिपर (हे०में)	दण्ड स्वरूप गैर वनभूमि पर (हे० में)	योग
अनूपपुर	147.776	234.482	242.861	—	625.119 हे०

- (v) अभी तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति। (v) अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया गया है —

- (क) वन भूमि पर
(ख) वनेतर भूमि पर

जिला/ वन मंडल	दुगने बिगड़े वन क्षेत्र में (हे०में)	दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (हे०में)	स्वीकृत अनुसार गैर वनभूमि पर (हे०में)	दण्ड स्वरूप गैर वनभूमि पर (हे० में)	योग	व्यय
अनूपपुर	420.933	—	129.820	—	550.813	—

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव की अन्यथा लेने के संबंध में उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश
13. आवेदक द्वारा आवेदित 2.100 हे. वनक्षेत्र में प्रस्तावित कार्य करने हेतु देने की अनुशसा की जाती है।

तिथि —

स्थान — अनूपपुर


वन मण्डलाधिकारी
अनूपपुर वन मंडल